न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

प्रकीर्ण वाद संख्या–M/242/12/2026
बाबू अली बनाम दुर्वेश अली आदि ।

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का निस्तारण

दिनांक–30.05.2026

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है । पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थनापत्र आवेदक द्वारा विपक्षी के विरूद्ध इस आशय का दिया गया है कि आवेदक अपनी खेतिहर जमीन अपने दोनों पुत्रों दुर्वेश अली व रज्जब अली को आधी–आधी देना चाहता था, परन्तु आवेदक के पुत्र दुर्वेश अली की नीयत खराब हो गयी । उसने आवेदक को धोखा देकर बेइमानी की नीयत से फर्जी व जाली तौर पर दस्तावेज रचकर एक मुख्त्यारनामा रजिस्ट्रीशुदा दिनांकित 27.06.2014 अपने हक में तहरीर करवा लिया और उसके जरिये दुर्वेश अली ने दिनांक 13.08.2014 को उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति का नूरबानों के हक में फर्जी बैनामा कर दिया । उक्त कूटरचित कथित बैनामे के आधार पर नूरबानों मूल खातेदार बन गयी । नूरबानो की मृत्यु के बाद इनके स्थान पर उसके वारिस मो० परवेज व मो० गुलजार की विरासत बिना कब्जा ट्रांसफर हुए, लेखपाल मौजा से षडयन्त्र रचकर दिनांक 09.04.2018 को कथित विरासत करवा लिए तथा भूमि पर कब्जा हेतु दिनांक 22.02.2026 को समय लगभग 8 बजे सुबह विक्षीगण एक राय होकर आवेदक के घर में घुस आये और गाली गलौज कर मारपीट की तथा धमकी दी कि जमीन वापस मांगी तो जान से मार देंगे । अन्य अभिकथन करते हुए विपक्षीगण के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की याचना की गयी है ।

समर्थन में जरिये सूची, प्रपत्र दाखिल किया गया है ।

संबधित थाने की आख्या के अनुसार, उपरोक्त के संबंध में कोई अभियोग थाना हाजा में पंजीकृत नहीं है। आख्या में अतिरिक्त रूप से यह भी वर्णित है कि पक्षों के मध्य जमीनी विवाद है जिसके संबंध में दीवानी मुकदमा विचराधीन है ।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य संज्ञान में आता है कि आवेदक को मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों की भली–भांति जानकारी है, जिसकी पुष्टि आवेदक एवं उसके गवाहान का बयान न्यायालय में अंकित करके की जा सकती है। विवेचना से किसी नये तथ्य की खोज नहीं करनी है। प्रस्तुत मामले में पुलिस द्वारा विवेचना कराये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि विधि दृष्टांत एस०सी०आर० जेसेफ माधुरी उर्फ विशेश्वरानन्द एवं अन्य बनाम स्वामी सच्चिदानन्द हरिसाक्षी एवं अन्य 2001 (2), पेज 320 एस०सी० एवं सुखवासी बनाम उ०प्र० राज्य, ए०सी०सी० 2007(59) पेज 739 में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में प्रस्तुत मामला परिवाद के रूप में दर्ज करना उचित एवं न्यायसंगत होगा।

Digitally signed by Rajendra Kumar Singh
Date: 2026.06.01 11:24:31 IST
Reason: order
Location: CJM Court, Kannauj

आदेश

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। प्रार्थनापत्र, परिवाद के रूप में आज ही पंजीकृत हो।

पत्रावली लंचबाद वास्ते साक्ष्य परिवादी अंतर्गत धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पेश हो।

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कन्नौज।
जे०ओ० कोड–UP1943